



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15894

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1809/2026

बाबूरामयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: संतोष कुमार तिवारी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त (न्यायिक)-द्वितीय, बरेली मंडल, बरेली को अपील संख्या 1351/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202412000001351) (बाबूराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त (न्यायिक)-द्वितीय, बरेली मंडल, बरेली को उपरोक्त अपील का निर्णय कानून के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से करने तथा पक्षों को कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान न करने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"